



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266931
CG-DL-E-14102025-266931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2025/आश्विन 22, 1947

No. 4529]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2025/ASVINA 22, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4658(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2271(E) तारीख 15.05.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 20.05.2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा राज्य में सिलचर-पानीसागर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्याम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : उत्तर त्रिपुरा				राज्य : त्रिपुरा		
सर्कल	मौज़ा	तहसील	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कदमताला	चुराइवारी	चुराइवारी	5945	00	06	42
			5945/11595	00	04	49
धर्मनगर	गंगानगर	कामेश्वर	4036	01	06	70
			4297	00	01	22
पानीसागर	उत्तर पद्मबिल	रामनगर	3663	00	02	46
			3664	00	04	27
			5445	00	09	93
			3741	00	16	11
			5684	00	09	76
पानीसागर	दक्षिण पद्मबिल	रोवा	2090	00	07	82
पानीसागर	रोवा	रोवा	3247	00	03	58
			3550	00	48	71
			3550/4289	00	23	40

[फा. सं. एल - 14014-14-2023 - जीपी- II (ई - 46938)]

रामजी लाल मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

S.O. 4658(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2271(E) dated 15.05.2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 20.05.2025, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Silchar-Panisagar Gas Pipeline in the state of Tripura by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District :North Tripura				State: Tripura		
Circle	Mauza	Tehsil	Dag No.	Area		
				Hec.	Arc	Sq.Mtr.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kadamtala	Churaibari	Churaibari	5945	00	06	42
			5945/11595	00	04	49
Dharmanagar	Ganganagar	Kamesher	4036	01	06	70
			4297	00	01	22
Panisagar	Uttar Padmabil	Ramnagar	3663	00	02	46
			3664	00	04	27
			5445	00	09	93
			3741	00	16	11
			5684	00	09	76
Panisagar	Dakshin Padmabil	Rowa	2090	00	07	82
Panisagar	Rowa	Rowa	3247	00	03	58
			3550	00	48	71
			3550/4289	00	23	40

[F. No. L – 14014-14-2023 - GP – II (E - 46938)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.